न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2018 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी, भीलवाडा	बनाम	1. अशोक कुमार सिंधी पुत्र खेमचन्द सिंधी निवासी मारू की हवेली, फुलियागेट रोड, शाहपुरा, मालिक नरू रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –
1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी अधिवक्ता – उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.03.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 03.04.2018 के क्रम में दिनांक 12.04.2018 को अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी, रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री योगिता कंवर प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय द्वारा नरू रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर अशोक कुमार सिंधी पुत्र खेमचन्द सिंधी निवासी मारू की हवेली, फुलियागेट रोड, शाहपुरा मिले। जिन्होनें स्वयं को नरू रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा का मालिक होना बताया। मौके पर एक 14.2 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व पाईप मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नही किये गये। निरीक्षण के दौरान आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 89486 को रेगूलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चूल्हे से जोड़कर चाय बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवैध भण्डारण एवं गैर कानूनी ढंग से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया

जाना पाया गया। अतः मौके से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री परमेश्वर लाल भील पुत्र तेजमल भील निवासी ज्योति नगर शाहपुरा हाल पद ऑफिस स्टॉफ शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स शाहपुरा को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। जिससे जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2018 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश हुआ।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेश कमांक 13 दिनांक 03.04.2018 के क्रम में दिनांक 12.04.2018 को अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी, रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री योगिता कंवर प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय द्वारा नरू रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर अशोक कुमार सिंधी पुत्र खेमचन्द सिंधी निवासी मारू की हवेली, फुलियागेट रोड, शाहपुरा मिले। जिन्होनें स्वयं को नरू रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा का मालिक होना बताया। मौके पर एक 14.2 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व पाईप मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नही किये गये। निरीक्षण के दौरान आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर कमांक 89486 को रेगूलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चूल्हे से जोड़कर चाय बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवैध भण्डारण एवं गैर कानूनी ढंग से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः मौके से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री परमेश्वर लाल भील पुत्र तेजमल भील निवासी ज्योति नगर शाहपुरा हाल पद ऑफिस स्टॉफ शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स शाहपुरा को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। जिससे जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर

व पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं जुर्म स्वीकार किया । इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व पाईप को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व पाईप को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा गैस चूल्हा मय रेगूलेटर व पाईप का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.))